

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1049
TO BE ANSWERED ON 15.12.2022**

REVIEW OF EMPLOYEES' PENSION SCHEME

1049. SHRI MASTHAN RAO BEEDA:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government constituted a high-empowered monitoring committee in 2018 for evaluation and review of the Employees' Pension Scheme (EPS);**
- (b) whether Government has implemented the recommendations made by the committee;**
- (c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;**
- (d) whether Government has undertaken any other reforms with respect to the functioning of EPS; and**
- (e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)**

(a) to (c): Yes, Sir. As per recommendations made by High Empowered Monitoring Committee constituted by the Government for complete evaluation and review of Employees' Pension Scheme, 1995, the Government vide Notification G.S.R. No. 132(E) dated 20.02.2020 has implemented a recommendation regarding restoration to normal pension after completion of fifteen years from the date of such commutation, in respect of those members who availed the benefit of commutation of pension under the erstwhile paragraph 12A of this Scheme, on or before the 25th day of September, 2008. However, no decision has been taken to increase the minimum pension under EPS, 1995 from Rs.1,000/- to Rs.2,000/- per month, as recommended by the High Empowered Monitoring Committee.

(d) & (e): Review and revision of schemes is an ongoing process. Section 15 of the Code on Social Security, 2020 notified on 29.09.2020, which subsumes 9 Central labour laws, including the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 envisages to frame various schemes including pension for the employees and their family members. However, the said Code has not yet to come into force.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 / 24 अग्रहायण, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना की समीक्षा

1049. श्री मस्थान राव बीडा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था;
- (ख) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,
- (घ) क्या सरकार ने ईपीएस की कार्यप्रणाली के संबंध में कोई अन्य सुधार किए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): जी, हां। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. क्रमांक 132(अ) के माध्यम से ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने योजना के पूर्ववर्ती पैरा 12क के तहत 25 सितंबर, 2008 को या उससे पहले पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाया था, सामान्य पेंशन की बहाली के संबंध में एक सिफारिश लागू की है। हालांकि, ईपीएस, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,000/- रुपये प्रति माह करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा कि उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

(घ) और (ङ): योजनाओं की समीक्षा और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 15 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की परिकल्पना की गई है। हालांकि, उक्त संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।
